

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

बे शीताल विपक्षी आल.कं.जाली

म मुकदमा

पत्रावली संख्या

सन्

११८/१५

क्र.सं.

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

१५/११/२१

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. / व.ए.ब.टी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः कॉपी
ध्वंसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक ११/११/२१
को पेश हो।

SDO मावली

११/११/२१

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक ११/११/२१ को पेश हो।

२८/१०/२१

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक २०/११/२१ को पेश हो।

२/११/२१

पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के
संग अभियान-२०२१' आयोजित किया जाने
से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को
सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-.....
दिनांक.....को पेश हो।

२५/१२/२१

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

२५/१२/२१

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....को पेश हो।

२१/५/२२

बे शीताल
विपक्षी
२५/१२/२१



21/4/22

पत्रावली पेश हुई। पार्थी/अपीलाइट/
प्रतिवादी/विपक्ष/रफा/सप्लिया/पीठासीब
अभिवादी भले आज अवकाश/भ्रमण/मिडिब
में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश की फलना में
दिनांक 4/8/22

4/8/22

सुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वएस
के लिये मौका चाहते है। अतः विपक्ष
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 2/9/22
को पेश हो


SDO मावली

13/9/22

सुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वएस
के लिये मौका चाहते है। अतः विपक्ष
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 31/10/22
को पेश हो


SDO मावली

31/10/22

पत्रावली पेश हुई। पार्थी स्वयं उप.।
पार्थी की मूल वाद में वएस चुकी गई। मूल
वाद वएस में होने से उक्त पत्रावली में वएस
चुकी ~~चुकी~~ गई। अतः उक्त पत्रावली मूल वाद
के साथ दिनांक 07/11/22 को पेश हो।

07/11/22

पत्रावली पेश हुई। पार्थी स्वयं उप.। मूल वाद
आज दिनांक को खाबिज किया जाने से अब
वस पत्रावली को चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः मूल पत्रावली फैसल होने से अब
इस पत्रावली में कोई कार्यवाही कोष नहीं रहती है।
अतः उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया
जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर
से कम हो।

निष्पत्ति सुले -यात्रालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
SDO मावली